न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ जिला जयपुर

दमा नम्बर /164/2021

था पुत्र मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम सामरेडकला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र प्रताबा जाति गुर्जर
2. रामकरण पुत्र प्रताबा जाति गुर्जर
3. रामेश्वर पुत्र प्रताबा जाति गुर्जर
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सामरेडकला तहसील जमवारामगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगए,

प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्र शर्मा एडवोकेट वादी
2. श्री सत्यपाल गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी

(दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.)

निर्णय दिनांक 18.9.2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी की और से वाद पत्र श्री पुष्पेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 179/2 रकबा 2.2255 हैक्टेयर खसरा नम्बर 179/6 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179/8 रकबा 0.1391 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 179 /10 रकबा 0. 0126 हैक्टेयर वाके ग्राम सामरेडकला पंटवार मण्डल सामरेडकला तहसील जमवारामगढ मे स्थित है जिस पर वारी अपने पुख्ता निर्मित मकानो , बोरिंग विधुक कनेक्शन सहीत मिटटी की पाल –डोल ताबरबन्दी करवाकर साधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पडौसी खातेदार है , प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने एक भू माफिया गिरोह बना रख है जो कि जबरन लठ के बल पर वादी की उपरोक्त मद नम्बर 1 मे वर्णित खातेदारी भूमि को हथियाने के कुत्सित उददेश्य से बदनियती पूर्वक वादी को उसकी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि से बेदखल करने की फिराक मे है । अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 179/2 रकबा 2.2255 हैक्टेयर खसरा नम्बर 179/6 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179/8 रकबा 0.1391 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 179 /10 रकबा 0.0126 हैक्टेयर वाके ग्राम सामरेडकला पंटवार मण्डल सामरेडकला तहसील जमवारामगढ मे किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे बारबन्दी नही करे चार दिवारी पुख्ता निर्माण आदि नहीं करे तथा वादी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं करे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की और से श्री सत्यपाल गुर्जर एडवोकेट उपस्थित । वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा मय अतिरिक्त कथन अन्तर्गत वाद 188 आरटीएक्ट के तहत पेश किया । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा में प्रतिदावा में अंकित तथ्यो ताईद करते हुये निवेदन किया कि मिन उत्तरदाताउ व वादी की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 179 ग्राम सामरेडकला मे स्थित थी जो भगवाना पुत्र परागा हिस्सा 1/2 , प्रताप पुत्र मांगू हिस्सा 1/4 व मूल्या पुत्र मांगू हिस्सा 1/4 अनुसार स्थित है उपरोक्त खातेदारो द्वारा दिनांक 18.5.1993 को ग्राम पंचायत सामरेडकला मे आयोजित शिवर मे सहमति से तकासमा करवा लिया था जिसमे तकासमा अनुसार विभाजन मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता प्रताप के हिस्से मे खसरा नम्बर 179/2, 179/6, 179/8, 179/10 आये तथा वादी के के हिस्से मे खसरा नम्बर 179/3, 179/5, 179/7 , 179/9 आये उसी अनुसार मिन उत्तरदाता आज तक कब्जा काश्त करते चले आ रहे है व अपने कब्जे काश्त की भूमि मे पुख्ता तारबाउण्डी व सिचाई हेतु बोरिग लगाकर विधुत कनेक्शन ले रखा है व उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त विभाजन का नामान्तकरण खोलते समय त्रुटिकरते हुये विभाजन मे वादी के नाम आये खसरा नम्बर को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 व उनके हकपूवाधिकारी के नाम खसरा नम्बर 179/3, 179/5, 179/7, 179/9 राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनके हकपूवाधिकारी के खसरा नम्बर 179/2, 179/6, 179/8, 179/10 को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से दर्ज कर दिया । उक्त त्रुटि की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एकट के तहत भोरीलाल बनाम सरकार प्रकरण संख्या 153/2021 श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ दायर करवाया गया जो विचाराधीन है

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन किया गया। प्रतिवादीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ मे पेश कर रखा है जो विचाराधीन है । अतः वकील प्रतिवादीगण का जवाब दावा मय अतिरिक्त कथन स्वीकार किया जाता है तथाः वादी का वाद पोषनीय नहीं होने से गुणावगुण के आधार पर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 18.9.2023 को खुले इजलाश मे सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई (रूल्स 18–21

यालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर बइजलास श्री चिमनलाल मीना आर०ए०एस

मा नम्बर /164/2021

। पुत्र मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम सामरेडकला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र प्रताबा जाति गुर्जर
2. रामकरण पुत्र प्रताबा जाति गुर्जर
3. रामेश्वर पुत्र प्रताबा जाति गुर्जर
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सामरेडकला तहसील जमवारामगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगए,

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
1. श्री पुष्पेन्द्र शर्मा एडवोकेट वादी
2. श्री सत्यपाल गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी

(दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.)

अन्तिम डिक्री दिनांक 18/9/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर.ए.एस व हाजिर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा , सत्यपाल गुर्जर एडवोकेट मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि वकील प्रतिवादीगण का जवाब दावा मय अतिरिक्त कथन स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद पोषनीय नहीं होने से गुणावगुण के आधार पर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
मुदई			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वजूह सबुत		
स्टाम्प वजूह सबुत			महन्तानावकील		
महन्तानावकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			बबतहजराय हुक्मनामा		
बबतहजराय हुक्मनामा			मुत0		
मुत0			मिलान		
मिलान					

सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ